भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1882

12 फरवरी, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कोविड-19 के उपचार हेतु आयुष औषधियां

1882. श्री पी.आर. नटराजनः
श्रीमती साजदा अहमदः
श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज':
श्री नलिन कुमार कटील:
श्री ए. गणेशमूर्तिः

क्या आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश भर में कोविड-19 उपचार/कोविड-रोधी गुणों वाली आयुष पद्धति की दवाइयों के खुले बाजार में अवैध विपणन और बिक्री संबंधी रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और पद्धति-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईसीएमआर ने इन दवाइयों को स्वीकृति दी थी और क्या इस संबंध में कोई शिकायत/सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी निजी/कॉर्पोरेट कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके विरूद्ध शिकायत दर्ज की गई हैं; और

(घ) औषध और चमत्कारिक उपचार (अपेक्षणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वाली औषध कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई/की जा रही कारवाई का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
और आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय के
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार (श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): आयुष मंत्रालय ने प्रिंट, टी.वी. और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोविड-19 उपचार के लिए आयुष संबंधी दावों के प्रसार और विज्ञापन को रोकने के लिए दिनांक 01.04.2020 को एक आदेश सभी राज्य प्रमुख सचिवों/स्वास्थ्य सचिवों, आयुष, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों आयुष (एसएलए), भेषजसतर्कता केन्द्रों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रेस कॉउंसिल ऑफ इंडिया

और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद को जारी किया था। भेषजसतर्कता कद्रों के माध्यम से अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2021 तक कोविड-19 के लिए एएसयू एंड एच औषधों से संबंधित ऐसे 173 विज्ञापन प्राप्त हुए ह।

क्रम. सं.	पद्धति	आईपीवीसी कद्रों की संख्या	पीपीवीसी कद्रों की संख्या	कोविड-19 से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों की संख्या (अप्रैल से जनवरी, 2021 तक)
1.	आयुवद	02	35	111
2.	सिद्ध	01	14	49
3.	होम्योपैथी	01	13	07
4.	यूनानी	01	11	06
	कुल	**05**	**74**	**173**

(ग): आईसीएमआर से प्राप्त सूचना के अनुसार, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतगत बनाए गए नियमों के तहत कद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) देश म औषधों के अनुमोदन, नैदानिक परीक्षणों के आयोजन, औषधों के लिए मानक निर्धारित करने, आयातित औषधों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।

(घ): आयुष औषधों से संबंधित विज्ञापनों का विनियमन औषधि एवं चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतगत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत किया जाता है जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी अनुपालन न किए जाने के मामले म कारवाई करने के लिए सशक्त ह। इस संबंध म आयुष मंत्रालय ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतगत बनाए गए नियमों तथा औषधि एवं चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले चूककर्ताओं और कथित विनिर्माताओं/विज्ञापनदाताओं के विरूद्ध आवश्यक कारवाई आरंभ करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारियों को निदश जारी किए ह।

*****